...-12-19	वकील उभयपक्ष उप० हो बास्ते बहस ... दि० 20-12-19 को पेश हो।
20-12-19	वकील उभयपक्ष उप०। T.I. प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 24-12-19 को पेश हो।
24-12-19	वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 30-12-19 को पेश हो।
30-12-19	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं~~/अन्य कार्यो मे व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14-1-2020 को पेश हो। रीडर
14-1-2020	वकील उभयपक्ष उप०। प्रा०पत्र पर पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 3-2-2020 को पेश हो।
3-2-2020	वकील उभयपक्ष उप०। T.I. प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
4/2018	25.1.2018	3-2-2020

कुन्दन पुत्र जयराम, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी

——प्रार्थी

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र मोहनलाल, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
2. दुल्ली पुत्र मोहनलाल, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
3. प्रेमराज पुत्र मोहनलाल, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
4. रामजीलाल पुत्र रामफूल, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
5. खिलाडी पुत्र रामफूल, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
6. घमन्डी पुत्र शिवलाल, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
7. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा तलावडा ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री छुट्टन लाल बैरवा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री मोहसिन खान, एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 1,2,6 की ओर से
श्री बृजनंदन दीक्षित, एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 4,5 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0न0 1062 रकबा 0.10 है0, ख0न0 1063/1769 रकबा 0.09 है0, ख0न0 1064 रकबा 1.12 है0, ख0न0 1065 रकबा 0.20 है0, ख0न0 1104 रकबा 0.06 है0 ग्राम रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी मे स्थित है। जिस पर प्रार्थी काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है। अन्य किसी व्यक्ति का इस भूमि से कोई तालुल्क वास्ता नही है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 झगडालू व आदतन अपराधी किस्म के गिरोहबंद व्यक्ति है जो गरीब असहाय लोगो की भूमियो पर जबरन कब्जा करने के आदि है। अप्रार्थीगण दिनांक 15.1.18 को एकराय होकर प्रार्थी की कृषि भूमि ख0न0 1062, 1063/1769 पर आ गये और जबरन कब्जा करने की नियत से प्रार्थी की उक्त आराजी पर ईधन व जलाने की लकडी डाल कर कब्जा कर लिया। दिनांक 16.1.18 को प्रार्थी को अप्रार्थीगण की उक्त हरकत का पता चला तो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से ऐसा न करने बाबत मना किया तो अप्रार्थीगण एकदम क्रसेस्ति हसे गश असै मॉ बहिन की फौस गालिया देने लगे ओर कहने लगे कि अभी तो हमने तेरे ख0न0 1062,1063/1769 पर ही ईधन डालकर कब्जा किया है और अब तेरे ख0न0 1064 पर भी जबरन कब्जा करेगे और अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के सामने ही ख0न0 1064 के उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ करीब एक बीघा भूमि पर जबरन ईधन ओर बबूल के पेडों की लकडी डाल दी और ऐलानियॉ धमकी दी कि तुझे जो भी करना है वो कर ले, अब हम तेरी सम्पूर्ण भूमि पर ही कब्जा करेगें ओर तुझे भविष्य मे कब्जा काश्त से लाभान्वित नही होने देगें। और ज्यादा बोलने का प्रयास किया तो तुझे व तेरे

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

परिवार को जान से मार देगें। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से हाथ जोडकर कहा कि भाईयो यह भूमि मेरी खातेदारी की है, मै तुम्हे जबरन कब्जा नही करने दूगॉ तो अप्रार्थीगण एकाएक क्रोधित हो गये और मॉ बहिन की फौस गालियॉ देते हुए प्रार्थी को लाठी डंडो से मारने पीटने पर आमादा हो गये तथा प्रार्थी को धक्का मुक्की कर जमीन पर पटक दिया तो प्रार्थी के चिल्लाने पर प्रार्थी को हेमराज मीना आदि द्वारा बचाब किया गया। इस बाबत प्रार्थी ने पुलिस शिकायत भी दर्ज करवायी अपितु पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही करने के बजाय कहा कि कोर्ट मे मुकदमा करो और कोर्ट से कब्जा हटाने का आदेश लाओ, तब कब्जा हटवायेगें। प्रार्थी उक्त घटना से डरा हुआ है तथा अपनी खातेदारी की भूमिपर जाने से कतरा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थी की भूमि ख0न0 1062 रकबा 0.10 है0, ख0न0 1063/1769 रकबा 0.09 है0, ख0न0 1064 रकबा 1.12 है0, के उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ के करीब एक बीघा भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे कोई मजामहत पैदा नही करें और ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 7 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि प्रार्थी का विवादित भूमिखण्ड से किसी प्रकार का वैधानिक सम्बन्ध नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा व टीआई प्रस्तुत की है जो खारिज किये जाने योग्य है। विवादित भूखडो से कोई सम्बन्ध नही है तो प्रार्थी से झगडा किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी का अप्रार्थीगण को झगडालू आदतन अपराधी किस्म का व्यक्ति गलत अंकित किया है। दिनांक 15.1.18 को अप्रार्थीगण द्वारा ख0न0 1062, 1063/1769 पर जबरन कब्जा करना तथा ईधन व जलाने की लकडी डालकर कब्जा करने की बात गलत लिखी है। देवता का स्थान बने हुए है, लकडी बडीता जलाने के ईधन इत्यादि तथा मवेशी भी बुजुर्गो के जमाने से विवादित भूमि कब्जे मे चली आ रही है। उक्त भूमि से से होकर रास्ता निकला हुआ है जिसमे होकर जंगलात मे जाते है। उक्त भूमि मे एक कच्चा कुंआ बुजुर्गो के जमाने के समय से बना हुआ था जो वर्तमान मे पानी कें अभाव मे रद्द हो गया है व जंगलात को जाने वाले रास्ते मे प्रार्थी ने डांकरे डालकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थी का यह अंकित किया जाना कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित भूखडो पर जबरन कब्जा करने की नियत से ईधन आदि डालकर कब्जा कर लिया हो कतई गलत है। विवादित भूमिखंडो पर बुजुर्गो के समय से ईधन इत्यादि पडे हुए है। विवादित भूखंडो पर अप्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा होने के कारण ही प्रार्थी द्वारा पुलिस रिपोर्ट किये जाने के कारण पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। अप्रार्थीगण का पैतृक समय से कब्जा होने के कारण ही पुलिस

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

द्वारा प्रार्थी की शिकायत पर पुश्तैनी कब्जा हटाये जाने के लिए सही इंकार किया है। क्योकि विधि का सिद्धान्त है कि किसी भी कब्जेधारी को विधी विरूद्ध तरीके से अन्यथा न्यायालय के आदेश के बिना बेदखल नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा यह झूठा मुकदमा, गलत आधारो पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत की है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। अप्रार्थी ने अपने जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि कुन्दन पुत्र जयराम नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामगढ मुराडा मे नही है बल्कि प्रार्थी कुन्दन कन्हैया का पुत्र है। जयराम पुत्र हरदेव के एक पुत्री तुलसी है जो ग्राम बाटौदा की निवासी है। जयराम की मृत्यु के बाद उसकी जायदाद का पुत्री तुलसी के नाम ही विरासत का नामान्तकरण खुला है। विवादित भूमि के साबिक ख0न0 329/5 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि जयराम पुत्र हरदेव को जरिए आवंटन प्राप्त हुई। वादी ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर जयराम की मृत्यु के पश्चात जयराम की खातेदारी की भूमि ख0न0 329/5 को विधि विरूद्ध तरीके अपने नाम दर्ज करवा लिया है। जबकि बाटौदा मे स्थित भूमि तुलसी पुत्री जयराम के नाम सही रूप से अंकन की गई है। इसी अनुसार रामगढ मुराडा की विवादित भूमि का नामान्तकरण भी तुलसी पुत्री जयराम के नाम ही खोला जाना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियो ने वादी से साज कर अपने नाम खातेदारी करवाकर यह गलत दावा विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किय है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के पिता का नाम कन्हैया है, कन्हैया रामगढ मुराडा का निवासी है, कन्हैया की मृत्यु के पश्चात उसकी भूमि की विरासत का नामान्तकरण गिर्राज, कुन्दन, कमलेश पिसरान कन्हैया के नाम इन्द्राज हुआ जो वर्तमान राजस्व मे इन्द्राज चला आ रहा है। प्रार्थी कुन्दन जब कन्हैया का पुत्र है और विरासत का नामान्तकरण उसके भाईयो के साथ खोला जा चुका है। कुन्दन ने विधि विरूद्ध तरीके से व राजस्व कर्मचारियो से अपने गलत प्रकार के नामान्तकरण तुलसी के स्थान पर अपने नाम करवा लिया है तथा गलत खातेदारी के आधार पर यह दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे और वादी के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही अमल मे लायी जावे। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि टी.आई. मय हर्जा खर्चा खारिज फरमायी जावें।

अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी का विवादित भूमिखण्ड से किसी प्रकार का वैधानिक सम्बन्ध नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा व टीआई प्रस्तुत की है जो खारिज किये जाने योग्य है। विवादित भूखडो से कोई सम्बन्ध नही है तो प्रार्थी से झगडा किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी का अप्रार्थीगण को झगडालू आदतन अपराधी किस्म का व्यक्ति गलत अंकित किया है। दिनांक 15.1.18 को अप्रार्थीगण द्वारा ख0न0 1062, 1063/1769 पर जबरन कब्जा करना तथा ईधन व जलाने की लकडी डालकर कब्जा करने बाती बात गलत लिखी है। देवता का स्थान बने हुए है, लकडी बडीता जलाने के ईधन इत्यादि तथा मवेशी भी बुजुर्गो के जमाने से विवादित भूमि कब्जे मे चली आ रही है। उक्त

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

भूमि से से होकर रास्ता निकला हुआ है जिसमे होकर जंगलात मे जाते है। उक्त भूमि मे एक कच्चा कुंआ बुजुर्गो के जमाने के समय से बना हुआ था जो वर्तमान मे पानी के अभाव मे रद्द हो गया है व जंगलात को जाने वाले रास्ते मे प्रार्थी ने डांकरे डालकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थी का यह अंकित किया जाना कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित भूखडो पर जबरन कब्जा करने की नियत से ईधन आदि डालकर कब्जा कर लिया हो कतई गलत है। विवादित भूमिखंडो पर बुजुर्गो के समय से ईधन इत्यादि पडे हुए है। विवादित भूखंडो पर अप्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा होने के कारण ही प्रार्थी द्वारा पुलिस रिपोर्ट किये जाने के कारण पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। अप्रार्थीगण का पैतृक समय से कब्जा होने के कारण ही पुलिस द्वारा प्रार्थी की शिकायत पर पुश्तैनी कब्जा हटाये जाने के लिए सही इंकार किया है। क्योकि विधि का सिद्धान्त है कि किसी भी कब्जेधारी को विधी विरूद्ध तरीके से अन्यथा न्यायालय के आदेश के बिना बेदखल नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा यह झूठा मुकदमा गलत आधारो पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत की है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे है। अप्रार्थी ने अपने जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि कुन्दन पुत्र जयराम नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामगढ मुराडा मे नही है बल्कि प्रार्थी कुन्दन कन्हैया का पुत्र है। जयराम पुत्र हरदेव के एक पुत्री तुलसी है जो ग्राम बाटौदा की निवासी है। जयराम की मृत्यु के बाद उसकी जायदाद का पुत्री तुलसी के नाम ही विरासत का नामान्तकरण खुला है। विवादित भूमि के साबिक ख0न0 329/5 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि जयराम पुत्र हरदेव को जरिए आवंटन प्राप्त हुई। वादी ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर जयराम की मृत्यु के पश्चात जयराम की खातेदारी की भूमि ख0न0 329/5 को विधि विरूद्ध तरीके अपने नाम दर्ज करवा लिया है। जबकि बाटौदा मे स्थित भूमि तुलसी पुत्री जयराम के नाम सही रूप से अंकन की गई है। इसी अनुसार रामगढ मुराडा की विवादित भूमि का नामान्तकरण भी तुलसी पुत्री जयराम के नाम ही खोला जाना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियो ने वादी से साज कर अपने नाम खातेदारी करवाकर यह गलत दावा विधि विरूद्ध तरीके से प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किय है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के पिता का नाम कन्हैया है, कन्हैयाा रामगढ मुराडा का निवासी है, कन्हैया की मृत्यु के पश्चात उसकी भूमि की विरासत का नामान्तकरण गिर्राज, कुन्दन, कमलेश पिसरान कन्हैया के नाम इन्द्राज हुआ जो वर्तमान राजस्व मे इन्द्राज चला आ रहा है। प्रार्थी कुन्दन जब कन्हैया का पुत्र है और विरासत का नामान्तकरण उसके भाईयो के साथ खोला जा चुका है। कुन्दन ने विधि विरूद्ध तरीके से व राजस्व कर्मचारियो से अपने गलत प्रकार के नामान्तकरण तुलसी के स्थान पर अपने नाम करवा लिया है तथा गलत खातेदारी के आधार पर यह दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे और वादी के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही अमल मे लायी जावे। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि टी.आई. मय हर्जा खर्चा खारिज फरमायी जावें।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

जबाब के समर्थन मे अप्रार्थी संख्या 4, 5 ने फोटोप्रति नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 ग्राम बाटोदा, नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 76, 77 ग्राम रामगढमुराडा प्रस्तुत किये है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि उसकी खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। जिस पर अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करना चाहते है इस हेतु अप्रार्थीगण ने भूमि ख0न0 1062, ख0न0 1062/1769 पर जबरन ईधन व जलाने की लकडी डाल दी है। इसी प्रकार ख0न0 1064 के उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ के करीब एक बीघा रकबे मे भी जबरन ईधन और बबूल के पेडो की लकडी डाल दी है। मना करने पर भी नही मानते है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकीलों ने अपनी बहस में कहा है कि भूमि ख0न0 1062, 1063/1769 मे देवता के स्थान बने हुए है तथा इन पर अप्रार्थीगण बुजुर्गो के जमाने से कब्जे मे चले आ रहे है। इनमे होकर रास्ता भी निकला हुआ है जो जंगलात को जाता है परन्तु प्रार्थी ने इस रास्ते डांकरे डालकर अवरूद्ध कर दिया है। विवादित भूमि का साबिक ख0न0 329/5 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा रहा है जो जयराम पुत्र हरदेव की आंवटित शुदा भूमि रही है। जयराम की मृत्यु के बाद यह भूमि उसकी एकमात्र पुत्री तुलसी जो कि बाटोदा मे रहती है के नाम दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु प्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर इसे गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवा लिया है। जबकि ग्राम बाटौदा मे स्थित जयराम की भूमि सही तरीके से तुलसी के नाम दर्ज हुई है। भूमि से प्रार्थी का कोई वास्ता नही है। प्रार्थना पत्र कब्जे के अभाव मे खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है। अप्रार्थीगण की ओर से अपने जबाब मे जो तथ्य अंकित किये गये है उनका प्रार्थी ने कोई खंडन नही किया है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता सख्या 110 ग्राम बाटौदा के अनुसार तुलसी पुत्री जयराम मीना के नाम भूमि खातेदारी मे दर्ज है तथा नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 76, 77 ग्राम रामगढ मुराडा के अनुसार प्रार्थी के नाम अपने पिता कन्हैया की भूमि प्रार्थी के अन्य भाई गिर्राज व कमलेश के साथ खातेदारी मे 1/3 हिस्से के रूप मे दर्ज है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत इन दस्तावेजो से अप्रार्थीगण द्वारा जबाब मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है एवं इनसे यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा जबाब मे उठाये गये तथ्य सही है परन्तु यहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के स्तर पर इन तथ्यो पर कोई विवेचन नही किया जा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

सकता है। प्रथम दृष्टया प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं जब तक वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा स्पष्ट रूप से प्रमाणित नही हो जावे, भूमि पर कब्जा खातेदार प्रार्थी का ही माना जावेगा। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं भूमि ख0न0 1062 रकबा 0.10 है0, ख0न0 1063/1769 रकबा 0.09 है0 सम्पूर्ण रकबा तथा ख0न0 1064 रकबा 1.12 है0, के उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ के करीब एक बीघा भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करने के लिए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 3-2-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलक्टर गंगापुर सिटी (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.03.16 12:17:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: